न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 184 / 2020 तारीख रजू 26.11.2020

सुरेश पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी बाजौली। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ। –––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 04.08.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 89 / 2020 मे पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बाजौली के आराजी खसरा नम्बर 1251 / 736 रकबा 1.00 बीघा किस्म बजंड 2 पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा बिना सुनवाई के एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामिल अपीलान्ट पर नहीं हुयी है फिर भी तामील मानकर एक तरफा निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अंतिचारी है। यदि अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो राजकीय भूमि पर अतिचार के मामले बढने की संभावना है जिससे गांव के व्यक्तियों को भी परेशानी का कारण बन सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट के परिवार के सदस्य को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी की रिपोर्ट का अंकन किया हुआ है। तथा पटवारी हल्का द्वारा भी अपने बयान में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतचारी होने बाबत बयान दर्ज कराये गये है। अतः पेरोकार सरकार की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी रिपोर्ट/बयान के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 यथावत रखा जात है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:27 IST
Reason: SelfAttested